न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीनअधिकारी :—श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 — 16 / 2020

अनवान : —

1. आदराम पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी डुंगराना त0 भादरा।
2. अनिल पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी डुंगराना त0 भादरा।

—प्रार्थीगण

बनाम्

1. शंकरलाल पुत्र फुलाराम जाति जाट निवासी डुगराना त0 भादरा।
2. भूपसिंह पुत्र फुलाराम जाति जाट निवासी डुंगराना त0 भादरा।
3. शान्ति देवी पत्नी फुलाराम जाति जाट निवासी डुंगराना त0 भादरा।
4. रामपत पुत्र खेताराम जाति जाट निवासी डुंगराना त0 भादरा।
5. श्रीचंद पुत्र खेताराम जाति जाट निवासी डुंगराना त0 भादरा।
6. महेन्द्रसिंह पुत्र खेताराम जाति जाट निवासी डुंगराना त0 भादरा।
7. किस्तुरी पत्नी रामसिंह जाति जाट निवासी डुंगराना त0 भादरा।
8. राजवीर पुत्र रामसिह जाति जाट निवासी डुंगराना त0 भादरा।
9. राजस्व अधिकारी जरिये तहसीलदार भादरा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट

उपस्थिति :—श्री श्रवण सहारण प्रार्थीगण

श्री श्रवण सहारण द्वितीय अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांकः 18.7.22

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि गांव गुजासरी के खाता सं0 71 / 71 के खसरा सं0 128 / 100, 130 / 100, 133 / 100 की कुल 17.672 है0 बारानी खातेदारी में प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 8—9 के नाम 6 / 35 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। ढाणी खोखरान के खाता सं0 68 / 62 के खसरा सं0 95, 97 की कुल 5.225है0 बारानी कृषि भूमि में प्रार्थीगण के नाम 0.253 है0 खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जो प्रार्थीगण ने जरिये बैयनामा 05.07.2019 को खरीद की हुई है।

प्रार्थीगण ने उपर वर्णित वाद भूमि जो खरीद की है उसमें टयूबवैल लगाकर अपनी डिग्गी का निर्माण भी कर रखा है। प्रार्थीगण की अन्य भूमि जो गुजांसरी में स्थित है वहां प्रार्थी उक्त टयूबवैल से पाईप लाईन डालकर अपनी गुजासरी की खातेदारी में सिचाई करना चाहता है, इस बाबत जब प्रार्थीगण द्वारा जब अपने सहखातेदारो से बातचित की गई तो उन्होने अपने हिस्से से पाईप लाईन डालने के लिए मना कर दिया। प्रार्थीगण ने सिचाई की सुविधा को देखते हुए अपनी गुजांसरी की खातेदारी का समतलीकरण भी करवा लिया।

इस प्रकार पाईप लाईन डालने में किसी भी काश्तकार द्वारा बाधा उत्पन्न की जाती है तो प्रार्थीगण को ना पूरा होने वाला नुकसार होगा। अतः प्रार्थी प्रार्थना पत्र पेश कर पाईप लाईन डालने की स्वीकृति लेने का कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थी सं0 2, 5, 7 ता 9 ने ईकबाल प्रा0पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र की सभी मद संख्याओं को स्वीकार किया व अप्रार्थी 1, 4, 6 के विरूद्व हाजिर नहीं आने पर एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं0 3 की मृत्यु दौराने प्रार्थना पत्र के होने पर नाम प्रार्थना पत्र से हटाया गया जिसके जायज वारिसान पहले ही प्रार्थना पत्र में पक्षकार है। तहसीलदार भादरा से रिपॉर्ट मौका मगंवाई गई जो शामिल पत्रावली की गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि उपर वर्णित वाद भूमि जो खरीद की है उसमें टयूबवैल लगाकर अपनी डिग्गी का निर्माण भी कर रखा है। प्रार्थीगण की अन्य भूमि जो गुजांसरी में स्थित है वहां प्रार्थी उक्त टयूबवैल से पाईप लाईन डालकर अपनी गुजासरी की खातेदारी में सिचाई करना चाहता है, प्रार्थीगण ने सिचाई की सुविधा को देखते हुए अपनी गुजांसरी की खातेदारी का समतलीकरण भी करवा लिया। अन्य पक्षकारान के द्वारा सहमती भी प्रकट की है तथा तहसीलदार भादरा की रिपॉर्ट के मुताबिक प्रस्तावित पाईप लाईन की आवश्यकता अत्यधिक है, अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर पाईप लाईन डालने की स्वीकृति प्रदान की जावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण ने रोही मौजा गांव गुजासरी के खाता सं0 71/71 के खसरा सं0 128/100, 130/100, 133/100 की कुल 17.672 है0 बारानी खातेदारी में प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 8–9 के नाम 6/35 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। ढाणी खोखरान के खाता सं0 68/62 के खसरा सं0 95, 97 की कुल 5.225है0 बारानी कृषि भूमि में प्रार्थीगण के नाम 0.253 है0 खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जो प्रार्थीगण ने जरिये बैयनामा 05.07.2019 को खरीद की हुई है। प्रार्थीगण द्वारा अपने खरीद किये गये हिस्से में टयूबवैल व डीग्गी का निर्माण किया गया है, जिससे प्रार्थीगण द्वारा पाईप लाईन अपनी दूसरी खातेदारी रोही मौजा गांव गुजासरी के खाता सं0 71/71 के खसरा सं0 128/100, 130/100, 133/100 की कुल 17.672 है0 बारानी खातेदारी में प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 8–9 के नाम 6/35 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में ले जानी प्रस्तावित की गई है। हमारे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसमें प्रार्थीगण की खरीद की भूमि सलंग्न जमाबंदी रौही मौजा ढाणी खोखरान संवत 2071–2074 खाता सं0 68/62 में है जिसमें प्रार्थीगण के साथ साथ अन्य खातेदार भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण की खरीद की हुई कृषि भूमि में अन्य खातेदारों को प्रार्थीगण द्वारा पक्षकार नहीं बनाया गया है, चूकिं मुश्तर्का खातेदारी में सभी सह खातेदारों का प्रत्येक किला, मुरब्बा व खसरा की प्रत्येक ईंच पर कब्जा माना जाता है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

इस प्रकार प्रार्थीगण का उक्त विवादित दोनों खातों की कृषि भूमि अर्थात् जहां टयूबवैल है और जहां पाईप लाईन प्रस्तावित है, संयुक्त खाता की भूमि है जिसमें प्रार्थीगण द्वारा अलग से खाता व लगान कायम नहीं करवाया है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खरीद की हुई भूमि के सहखातेदारों को पक्षकार बनाना आवश्यक था जो प्रार्थना पत्र में दर्ज नहीं है। इसी प्रकार तहसीलदार भादरा की रिपॉर्ट कमाकः राजस्व/2021/143 दिनांक 09.04.2021 का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त प्रस्तावित पाईप लाईन के रास्ता में पक्की सडक गुजांसरी से ढाणी खोखरान आती है जिससे संबधित विभाग की स्वीकृति के लिए किसी भी प्रकार से विभाग को पक्षकार नहीं बनाया हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाया गया है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट उपरोक्त विवेचानुसार व आवश्यक पक्षकारान के अभाव में स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारीज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.7.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व), R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ